फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

वादी | अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

त/रामदेव | बनाम | राधाकिशन / हीराराम

प्रकरण : वाद पत्र | मुकदमा नं. 74 / 2009

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रकरण हाजा दिनांक 24.06.2009 से लम्बित है तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी जरिये पूर्व में अखबार साया से करवाने हेतु दिनांक 13.11.2017 को अवसर दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 26.06.209 को 200 रू. कॉस्ट पर अवसर दिया गया। दिनांक 08.08.2024 को अधिवक्ता प्रतिवादी की सहमति पर अन्तिम अवसर तलबी हेतु ओर प्रदत्त किया गया। तथा अन्ततः दिनांक 08.04.2025 को प्रकरण में रजिस्टर्ड एडी सम्मन से प्रतिवादीगण की तलबी की जाने हेतु अवसर हिदायत के साथ दिया गया कि प्रकरण में उक्त आदेश की पालना में नहीं की जाने पर प्रकरण में सीपीसी आदेश 09 नियम 5 के तहत कार्यवाही की जावेगी। परन्तु वकील वादी ने साबिका आदेश की पालना में रजिस्टर्ड एडी सम्मन पेश नहीं किये। अतः हस्तगत वाद प्रकरण में वकील वादी को तामील हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर तथा हिदायत के साथ अन्तिम अवसर गत तारीख पेशी पर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर प्रकरण हाजा अधीन धारा 88, 53, 188 आरटीएक्ट 1955 सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	